

माल और सेवा कर अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025

नियम 26 : एकपक्षीय संशोधन

प्रत्येक अपील या आवेदन में अंकीय, व्याकरणिक, लिपिकीय और ऐसी अन्य त्रुटियों को पक्षकारों को नोटिस दिए बिना रजिस्ट्रार के आदेश पर सुधारा जा सकेगा :

परंतु प्रतिवादियों के उपस्थित होने के पश्चात कोई भी संशोधन एकपक्षीय रूप से स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
